

# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0  
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001  
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 589 / सो.आ.नि.-318(I) / 2015  
दिनांक: 17 दिसम्बर, 2015

प्रेषक,

निदेशक,  
सोशल आडिट,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद तथा कासगंज को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश।

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में कराए गए कार्यों के सोशल आडिट के लिए सोशल आडिट का कैलेण्डर।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्यों के सोशल आडिट हेतु 30 दिसम्बर, 2015 से 21 मार्च, 2016 के मध्य होने वाले सोशल आडिट का कैलेण्डर संलग्न कर(संलग्नक-1) प्रेषित है।

2— संलग्न कैलेण्डर में आपके जनपद के 01 या 02 विकास खण्डों को सोशल आडिट हेतु चयनित किया गया है। लक्ष्य यह है कि जिन विकास खण्डों को सोशल आडिट हेतु चुना गया है उनकी सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में कराए गए कार्यों का शत-प्रतिशत सोशल आडिट कैलेण्डर में दी गई तिथियों के अनुसार सम्पन्न हो जाए।

3— भारत सरकार द्वारा सोशल आडिट हेतु प्रपत्रों पर सूचना वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। सभी ग्राम पंचायतों की सूचना जिला सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर द्वारा डाउनलोड करने हेतु इस निदेशालय के पत्र संख्या: 466 / सो.आ.नि.-312 / 2015, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। आशा है आपके जनपद में सभी सूचनाएं डाउनलोड कर ली गई होंगी। इनका प्रिन्ट भी जिला विकास अधिकारी द्वारा समय से टीमों को उपलब्ध कराया जाना है।

4— सोशल आडिट को दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण एस0आई0आर0डी0 के सहयोग से उनके क्षेत्रीय/जनपदीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रगति पर है। संसाधन व्यवित के रूप में जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटरों को भी सोशल आडिट की प्रक्रिया एवं उसके नए आयामों से

भली—भांति प्रशिक्षित किया जा चुका है। अतः ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट गुणवत्तापूर्ण तरीके से सम्पन्न होना अपेक्षित है।

5— सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक—एक ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर नामित किया जाएगा जो लगातार टीम के साथ रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर एक ही टीम के साथ कई ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में न बना रहे। इसके लिए प्रत्येक टीम के साथ नामित ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को प्रत्येक आडिट के बाद बदल दिया जाए।

6— सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार ब्लाक का सोशल आडिट सम्पन्न हो जाने के उपरान्त सोशल आडिट ब्लाक सभा (Exit Conference) का आयोजन ब्लाक पर किया जाएगा। सोशल आडिट ब्लाक सभा में सोशल आडिट के दौरान प्रकाश में आई कमियों एवं अनियमिताओं पर चर्चा की जाएगी तथा एक्शन टेकेन रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक्शन प्वाइंट का निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित एक्शन प्वाइंट्स तथा सोशल आडिट के निष्कर्षों को जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित ग्राम पंचायत, निदेशालय तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। सोशल आडिट ब्लाक सभा की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी बैठक का आयोजन करेंगे तथा ग्राम प्रधान सहित सभी सम्बन्धितों को प्रतिभाग करने हेतु सूचित करेंगे। बैठक में कुछ समय के लिए जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाना सोशल आडिट के लिए अत्यन्त लाभप्रद होगा।

7— चयनित ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट किए जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी :—

- (क) सोशल आडिट हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित ग्रामों में मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत एवं कार्यदाई संस्थाओं द्वारा वर्ष 2014—15 में कराए गए कार्यों का विवरण तथा इन्दिरा आवास योजना का विवरण प्रपत्र सो.आ.—। (संलग्नक—2), सो.आ.—॥ (संलग्नक—3), सो.आ.—॥ (A) (संलग्नक—4) तथा सो.आ.—इ (संलग्नक—5) जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ख) सोशल आडिट टीम को वर्ष 2014—15 की मनरेगा के कार्यों से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजों की प्रतियां, जो ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अन्य कार्यदाई संस्थाओं द्वारा सत्यापित होंगी, सोशल आडिट हेतु दिशा—निर्देशों के अनुरूप अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाएंगी:—
- |  |   |
|--|---|
| (i) जॉबकार्ड                           | (ii) ई—मस्टररोल   |
| (iii) मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर       | (iv) अन्य कार्यदाई संस्थाओं के मस्टररोल की प्राप्ति रजिस्टर |
| (v) मस्टररोल निर्गमन रजिस्टर           | (vii) जॉबकार्ड प्राप्ति रजिस्टर                             |
| (vi) जॉबकार्ड आवेदन पत्र रजिस्टर       | (ix) रोजगार रजिस्टर   |
| (viii) जॉबकार्ड निर्गमन रजिस्टर        | (xi) कार्यों की वरीयता सूची (सेल्फ ऑफ वर्क)                 |
| (x) ग्रामसभा बैठक की कार्यवाही रजिस्टर |   |

(xii)	कार्य पुस्तिका	(xiii)	परिसम्पत्ति रजिस्टर
(xiv)	शिकायत रजिस्टर	(xv)	निविदा / संविदा रजिस्टर
(xvi)	सामग्री क्रय रजिस्टर	(xvii)	बाउचर फोल्डर
(xviii)	कैशबुक और लेजर	(xix)	स्टाक रजिस्टर
(xx)	बैंक लेखों से मिलान विवरणों का फोल्डर	(xxi)	मासिक आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का रजिस्टर
(xxii)	प्रशासनिक स्वीकृति	(xxiii)	कार्य का प्रावक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति
(xxiv)	ग्रामसभा के संकल्प (रिजोलूशन)	(xxv)	माप पुस्तिका
(xxv)	कार्य प्रारम्भ का स्वीकृति पत्र	(xxviii)	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
(xxvii)	मजदूरी की दरें	(xxx)	लेबर बजट
(xxix)	आडिट रिपोर्ट		

(ग)– जारी किए गए कैलेण्डर की प्रति संबंधित विकास खण्ड तथा जनपद मुख्यालय पर अनिवार्यतः चर्चा की जाएगी, जिससे कि आमजन को सोशल आडिट तिथि की जानकारी हो सके। कृपया कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त प्रस्तर (ख) पर उल्लिखित सभी सूचनाएं/अभिलेख विकास खण्ड कार्यालय पर ही सम्बन्धित टीम को अवश्य उपलब्ध कराएं।

8— सोशल आडिट टीमों की कठिनाइयों के निवारणार्थ एवं उन्हें समय–समय पर मार्गदर्शन देने हेतु समय–समय पर जिला सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर (DSAC) पर्यवेक्षण करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि सोशल आडिट टीमों की कठिनाइयों एवं शंकाओं का समाधान तत्परता से हो।

9— सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं अन्य कार्यदायी संरथाओं के संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण की उपस्थिति तथा बैठक को सुचारू रूप से सम्पन्न होने के लिए जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती आवश्यक है। अतः एक वरिष्ठ अधिकारी को इस हेतु नामित करने का कष्ट करें। सोशल आडिट ग्रामसभा का ड्राफ्ट प्रतिवेदन सोशल आडिट टीम द्वारा तैयार किया जाएगा और उस पर ग्रामसभा की खुली बैठक में बिन्दुवार चर्चा होगी। सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक का कार्यवृत्त ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर द्वारा लिखा जाएगा, जिसकी प्रति जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी।

10— सोशल आडिट प्रक्रिया एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक शान्तिपूर्वक सम्पन्न होना सोशल आडिट की विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। अतः सोशल आडिट टीम को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा देने एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में शान्तिव्यवस्था बनाए रखने हेतु अपेक्षित पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए।

11— यदि किसी अपरिहार्य कारण से संलग्न सूची में दी गई किसी सोशल आडिट ग्रामसभा की निर्धारित तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो ऐसा जिलाधिकारी अपने स्तर से कर लें।

12— सोशल आडिट ब्लाक सभा (Exit Conference) की बैठक होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर सोशल आडिट के निष्कर्षों को भारत सरकार की वेबसाइट पर DSAC द्वारा बैठक से पांच दिन के अन्दर अपलोड किया जाएगा।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार संलग्न सूची में दिए गए कैलेण्डर के अनुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(राजवर्धन)  
निदेशक।

पत्रांक:- ५८९ / सो0आ0नि0-318(I) / 2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग-7), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2— महानिदेशक, एस0आई0आर0डी0, बकशी का तालाब, लखनऊ।
- 3— आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। (मरेणा),
- 4— श्री गुरुजीत सिंह एवं श्री दिग्विजय सिंह, सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 6— समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(राजवर्धन)  
निदेशक।

- सोशल आडिट कैलेण्डर जनपदवार संलग्नक डाउनलोड करें।
- सो.आ.- |, सो.आ.- ||, सो.आ.- || ( |) तथा सो.आ.-इ (संलग्नक)